



भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त- 1, पटना
द्वितीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001.

आदेश

दिनांक: 20-01-2011

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन आदेश

संस्था का नाम एवं पता:- गणेश फ़तु परिषद्, बिहार
मकान नं० - 81, रोड नं० - 13,
एस.के. नगर, पटना - 800001

उपरोक्त संस्था को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80छ के अन्तर्गत दानदाता के पक्ष में कर मुक्त होगा बशर्ते उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो।

1. दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति का निर्धारण वर्ष स्पष्ट लिखा हो।
2. आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये।
3. संस्था आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ(5) में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन करे।
4. यह कर मुक्ति निर्धारण वर्ष 2011-12 से मान्य है।

ह

(एस0 टी0 अहमद)

आयकर आयुक्त- 1, पटना

सं0 सं0 - आ.आ.-1/पटना/तक0/80 G/2010-11/1117

दिनांक 20-01-2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमान् सचिव/अध्यक्ष गणेश फ़तु परिषद्, बिहार, पटना को। संस्था के द्वारा आय कर अधिनियम 1961 की धारा 80छ (80G) के अधीन अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तुत किया गया था। अतः संस्था को कर मुक्ति की मान्यता निर्धारण वर्ष 2011-12 से प्रदान की जाती है।

2. सहायक/उप आयकर आयुक्त, अंचल पटना, उपरोक्त संस्था के बारे में प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष अपनी टिप्पणी सहित अपने परिक्षेत्र के संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त के माध्यम से देंगे कि उक्त संस्था आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80छ(5) में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन करती है या नहीं।

3. संयुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र पटना।

4. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना।

सहायक सचिव
पटना

आयकर अधिकारी (तक0)
पटना

कृते : आयकर आयुक्त: 1, पटना।



भारत सरकार

कार्यालय : आयकर आयुक्त- 1, पटना
द्वितीय तल, केन्द्रीय राजस्व भवन, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना-800001.

दिनांक ... 20-01-2011 ...

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत आदेश

संस्था का नाम एवं पता:- गणेशदास परिषद, बिहार
मकान नं० - 81, रोड नं० - 13,
एस.के. नगर, पटना - 800001

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए (1) उपधारा (बी) (i) में निहित शक्तियों के तहत उपरोक्त संस्था को आयकर अधिनियम की धारा 12ए के उद्देश्यों के लिए निर्धारण वर्ष 2011-12 से पंजीकृत किया जाता है। पंजीकरण निम्न शर्तों के तहत न्याय संगत होगा।

(i) संस्था/न्यास अपनी आय को पूर्व या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेगी, जहां ऐसी आय भारत में ऐसे प्रयोजन में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है वहां उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का पन्द्रह प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11 (2) की शर्तों का पालन करेगी।

(ii) संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट स्वरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।

(iii) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।

(iv) संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।

(v) संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विदिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।

Sum

(vi) किसी सामान्य लोकोपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा, यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति को कोई क्रियाकलाप अथवा किसी व्यापार, वाणिज्य या कारोबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप किया जाना अंतर्बलित है, भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन अथवा उसके प्रतिधारण की प्रकृति कुछ भी हो। लेकिन अगर इन क्रियाकलापों से कुल प्राप्ति पूर्ववर्ती वर्ष में रु० दस लाख या इससे कम है तो उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

(vii) यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि संस्था/न्यास के क्रियाकलाप उसके उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है अथवा संस्था/न्यास के क्रियाकलाप प्रामाणिक नहीं रहे तो आयकर अधिनियम की धारा 12ए (3) के अंतर्गत उक्त पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

पंजीकरण संख्या 50/2010-11

हो -
(एस० टी० अहमद,)
आयकर आयुक्त-1, पटना

सं० सं०- आ.आ.-1/पटना/तक०/12ए/10-11/1113

दिनांक 20-01-2011

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. सचिव/अध्यक्ष राजीश दत्त परिषद, बिहार, पटना

2. संसुक्त/अपर आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र - 1 पटना को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास का धारा 12ए के अंतर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक करमुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा दाखिल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास करमुक्ति के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं। यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं करती है तो उसे करमुक्ति देय नहीं होगी तथा धारा 12ए (3) के अंतर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

3. उप/सहस्यक आयकर आयुक्त, अंचल - 1 पटना

4. मुख्य आयकर आयुक्त-1, पटना

रजिग पाठ
(आर.के.पाठक)
आयकर अधिकारी (तक०)
कृते : आयकर आयुक्त-1, पटना

महासचिव
राजीश दत्त परिषद, बिहार